बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–17/2026– 1579

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन, भागलपुर/
डिहरी/औरंगाबाद/गया।

पटना, दिनांक : 02/07/2026

विषय : क्षतिपूरक वनीकरण हेतु संभावित गैर वन भूमि के रूप में चिन्हित नहरों के किनारे चार्ट लैंड में उपलध भूमि के संयुक्त स्थलीय स्त्यापन के संबंध में।

प्रसंग : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह– नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 824 दिनांक 30.06.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि जल संसाधन विभाग के अधीन विभिन्न नहरों के चार्ट लैंड के किनारे उपलब्ध संभावित भूमि का संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता संयुक्त रूप से स्थलों का स्थलीय सत्यापन कर निर्धारित प्रारूप में प्रतिवेदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संयुक्त सत्यापन के दौरान भूमि की वास्तविक उपलब्धता, विधिक स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, भूमि की निरंतरता, वृक्षारोपण की व्यवहार्यता, Geo-Coordinates/KML File स्थल फोटोग्राफ आदि का परीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः प्रासंगिक पत्र के आलोक में निदेश है कि संयुक्त रूप से स्थलों का स्थलीय सत्यापन करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता को अपने स्तर से निदेशित किया जाय एवं कृत कार्रवाई से मुख्यालय को अवगत कराया जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–17/2026–1579 पटना, दिनांक : 02/07/2026

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन